

प्रपत्र - 7

गैर कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्पत्तिवर्तन) अधिनियम-2010 के अन्तर्गत धारा-3 उप धारा (6) अथवा (7) जो लागू हो के अन्तर्गत सम्पत्तिवर्तन की अनुमति का प्रमाण पत्र

सक्षम प्राधिकार द्वारा बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्पत्तिवर्तन) अधिनियम-2010 के अन्तर्गत धारा-3 उप धारा (6) अथवा (7) (जो लागू हो) के अन्तर्गत निम्नवर्णित कृषि भूमि के गैर कृषि प्रयोजनों में सम्पत्तिवर्तन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जिला का नाम	अनुमंडल का नाम	अंचल का नाम	रैयत का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	राजस्व थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	गैर कृषि प्रयोजनों में प्रयुक्त किया जाने वाला रकबा (डो०)	खतियान में अंकित किस्म जमीन	चौहद्दी	गैर कृषि प्रयोजन का प्रकार	सम्पत्तिवर्तन के उपरान्त देय वार्षिक लगान सेस-राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
भागलपुर	सदर अनुमंडल	जगदीशपुर	परमानन्द मंडल, पो-साधु चरण मंडल, साकिन-जगदीशपुर	भवानीपुर देगरी	263	459	1095	33.12 डो०	कृषि दो फसला	उ०-त्रिभुवन सिंह, द०-नील लेख्यकारी, पू०-नील लेख्यकारी, प०-स्टेट हाईवे 19	व्यवसाय	पूर्व के लगान से इसका दस गुना

ह-

अनुमंडल पदाधिकारी,
सदर, भागलपुर

ज्ञापक 1561 / सा०, दिनांक 13/06/20

प्रतिलिपि :- आवेदक नीरज कुमार, पिता-श्री संजय पोद्दार, ग्राम-नया टोला, थाना-नवगछिया, जिला-भागलपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- अंचल अधिकारी, जगदीशपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा, भागलपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

13/6/20

अनुमंडल पदाधिकारी,
सदर, भागलपुर